सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*

साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*

आषाढ़ 23, शाके 1936, सोमवार, जुलाई 14, 2014
Asadha 23, Saka 1936, Monday, July 14, 2014

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 14, 2014

एस.ओ.31.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन संशोधन नियमों के,–

(i) नियम 20,21,22,23,24,25 और 26 के उपबंध 05.09. 2014 से प्रवृत्त होंगे;

(ii) नियम 6,7,8,27 और 28 के उपबंध 01.10.2014 से प्रवृत्त होंगे;

(iii) नियम 18 के उपबंध 01.12.2014 से प्रवृत्त होंगे; और

इन संशोधन नियमों के शेष नियम तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 9 का प्रतिस्थापन.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगा, अर्थात्:–

''**9. कर बोर्ड और उसके सदस्य.–** (1) कर बोर्ड में, इस अधिनियम या किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, अवधारित किए जायें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव से अनिम्न रैंक का भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान संवर्ग का कोई सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे या राज्य कर विधियों का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त कोई विख्यात अधिवक्ता होगा।

(4) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अतिकाल/चयन वेतनमान के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(5) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उच्च अतिकाल/अतिकाल वेतनमान के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(6) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य, राजस्थान सरकार के विशिष्ट शासन सचिव से अनिम्न रैंक के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे या समतुल्य रैंक का भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत अधिकारी होगा।

(7) बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के सेवारत सदस्य उनके अपने सेवा नियमों में उनकी अधिवर्षिता की आयु के अध्यधीन रहते हुए साधारणतया तीन वर्षो के लिए नियुक्त किये जायेंगे। जबकि समस्त अन्य सदस्य, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किये गये है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे। अधिवक्ता सदस्य सामान्यतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्वत्तर हो नियुक्त किये जायेंगे।

(8)(क) भा.प्र.से. के सेवारत अधिकारी से भिन्न कर बोर्ड के सेवारत सदस्य और अधिवक्ता सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिकाल वेतनमान के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय मासिक वेतन और भत्ते आहरित करेंगे। भा.प्र.से. का सेवारत अधिकारी उसकी सेवा में उसे यथा अनुज्ञेय मासिक वेतन और भत्ते आहरित करेगा। सदस्य के रूप मे नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी, अंतिम आहरित वेतन की रकम में से पेंशन कम करने के समतुल्य वेतन और अन्य भत्ते, जो उसे संदेय होते यदि वह सेवानिवृत्त नहीं होता, प्राप्त करेगा।

(ख) कर बोर्ड के सेवारत सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन, सदस्य के पद पर अंतिम आहरित वेतन के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(9) उप-नियम (7) और (8) के उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा से नियुक्त किये गये सेवारत सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, उस सेवा के सदस्य के रूप में उन पर लागू उनके अपने अपने सेवा नियमों, द्वारा विनियमित की जायेंगी।

(10) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(11) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट कर बोर्ड का सदस्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायेगाः-

(i) राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश-अध्यक्ष

(ii) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष- सदस्य

(iii) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार- सदस्य

(iv) कर बोर्ड का अध्यक्ष- सदस्य

(v) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान- सदस्य सचिव

(12) उप-नियम (4) और (5) में निर्दिष्ट कर बोर्ड का सदस्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगाः-

(i) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार-अध्यक्ष

(ii) कर बोर्ड का अध्यक्ष-सदस्य

(iii) प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान- सदस्य

(iv) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान- सदस्य सचिव

(13) इन नियमों में उपबंधित ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार इन सदस्यों की नियुक्ति की अवधि बढ़ा सकेगी।

3. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**12. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.-** (1) रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए कोई आवेदन व्यवहारी द्वाराः

(i) उस दिन से जिसको वह अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) या (5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हो जाता है तीस दिन के भीतर; या

(ii) उस दिन से, जिसको किसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कोई आदेश या सूचना संकर्म संविदाकार द्वारा प्राप्त की जाये और ऐसी संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल के उसके पण्यावर्त के अधिनियम की धारा 3 में अधिकथित सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना हो, तीस दिन के भीतर

प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए व्यवहारी इलेक्ट्रोनिक रूप में प्ररूप मूपक-01 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में आवेदन करेगा। व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से अभिस्वीकृति का जनन करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित करेगा और रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(i) प्ररूप मूपक-01 ख में शपथपत्र;

(ii) प्ररूप मूपक-02 में कारबार प्रबन्धक की घोषणा;

(iii) भागीदारी विलेख, यदि कोई हो, किसी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, न्यास के विलेख, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण और संगम अनुच्छेद की आवेदक द्वारा सत्यापित प्रति;

(iv) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने हेतु किसी व्यक्ति को प्राधिकार देने के लिए, कम्पनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा और अन्य सत्ताओं की दशा में शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की आवेदक द्वारा प्रमाणित प्रति;

(v) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में जो नियम 77 में विहित है;

(vi) निम्नलिखित की राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी पब्लिक से सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, हस्ताक्षरित फोटो;

(क) स्वामित्व समुत्थान की दशा में स्वत्वधारी;

(ख) भागीदारी फर्म की दशा में प्रत्येक भागीदार;

(ग) कम्पनी की दशा में प्रबन्धक निदेशक/निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता;

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्त्ता; और

(ङ) अन्य सभी मामलों में, प्राधिकृत हस्ताक्षकर्त्ता।

(vii) आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या की प्रति;

(viii) पते के सबूत के समर्थन में किराया विलेख या किराया रसीद या बिजली के बिल या दूरभाष के बिल या पानी के बिल या स्वयं की संपत्ति के दस्तावेजों की प्रति;

(ix) सम्यक् रूप से रद्द किया हुआ निरंक चैक।

(3) यदि प्ररूप मूपक-01 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन प्ररूप में कारबार के स्थायी खाता संख्या के संबंध में ब्यौरे, शाखा के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाते, दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या और ईमेल आई.डी. के संबंध में सूचना नहीं दी गई है तो यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।''

4. नियम 12क का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 12क हटाया जायेगा।

5. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम 12 के उप-नियम (2) में यथा-विहित दस्तावेजों के साथ विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति की प्राप्ति पर, यह समाधान होने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, विहित दस्तावेजों के साथ ऐसी अभिस्वीकृति की प्राप्ति के 24 घण्टे के

भीतर उसके द्वारा सम्यक् रूप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-03 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, शाखा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररूप मूपक-01 में यथा उपबंधित ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप से व्यवहारी को अग्रेषित किया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप-नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

''(1क) जहाँ उप-नियम (1) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में दिये गये तथ्यों और कथनों का सत्यापन करने के लिए जांच करेगा''

6 नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.-** (1) जहां किसी व्यवहारी को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या अस्थानस्थ हो जाता है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाता है वहां वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-04 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथाउपबंधित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम 14 में यथाउपबंधित रीति में उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्ररूप मूपक-03 जारी करेगा।''

7 नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 में,

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''फाइल किये गये प्ररूप मूपक-05 में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-05 में विभाग की शासकीय बेवसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक-06'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रोनिक रूप से मूपक प्ररूप-06 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3). जहां व्यवहारी का कारबार स्थायी रूप से बंद हो गया है, या व्यवहारी का कारबार अंतरित हो गया है और अंतरिती पहले से ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक है, या व्यवहारी अधिनियम के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किये जाने की अपेक्षा से प्रविरत हो गया है, वहां प्राधिकारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निरस्त करने के लिए इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर, अधिनियम धारा 21 में यथाविहित ऐसी घटना के घटित होने की तारीख तक विवरणी